(ख) ऐसी संस्थाओं और संगठनों से परामर्श करेगी जिन्हें राज्यपाल, आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

(4) प्रत्येक महानगर योजना समिति का अध्यक्ष वह विकास योजना, जिसकी ऐसी समिति द्वारा सिफारिश की जाती है, राज्य सरकार को भेजेगा।

243यच. विद्यमान विधियों और नगरपालिकाओं का बना रहना -- इस भाग में किसी बात के होते हुए भी संविधान (चौहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रारंभ के ठीक पूर्व किसी राज्य में प्रवृत्त नगरपालिकाओं से संबंधित किसी विधि का कोई उपबंध, जो इस भाग के उपबंधों से असंगत है, जब तक सक्षम विधान-मंडल द्वारा या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे संशोधित या निरसित नहीं कर दिया जाता है या जब तक ऐसे प्रारंभ से एक वर्ष समाप्त नहीं हो जाता है, इनमें से जो भी पहले हो, तब तक प्रवृत्त बना रहेगा :

परन्तु ऐसे प्रारंभ के ठीक विद्यमान सभी नगरपालिकाएं, यदि उस राज्य की विधान सभा द्वारा या ऐसे राज्य की दशा में, जिसमें, विधान परिषद् है, उस राज्य के विधान-मंडल के प्रत्येक सदन द्वारा पारित इस आशय के संकल्प द्वारा पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो अपनी अवधि की समाप्ति तक बनी रहेगी।

243यछ. निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन -- इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी :-

(क) अनुच्छेद 243यक के अधीन बनाई गई या बनाई जाने के लिए तात्पर्यित किसी ऐसी विधि की विधिमान्यता, जो निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन या ऐसे निर्वाचन-क्षेत्रों को स्थानों के आवंटन से संबंधित है, किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं की जाएगी;

(ख) किसी नगरपालिका के लिए कोई निर्वाचन, ऐसी निर्वाचन अर्जी पर ही प्रश्नगत किया जाएगा जो ऐसे प्राधिकारी को और ऐसी रीति से प्रस्तुत की गई है जिसका किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन उपबंध किया जाए, अन्यथा नहीं।

3. **अनुच्छेद 280 का संशोधन** -- संविधान के अनुच्छेद 280 के खण्ड (3) के उपखण्ड (ग) को उपखण्ड (घ) के रूप में पुनः अक्षरांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः अक्षरांकित उपखण्ड (घ) के पूर्व निम्नलिखित उपखण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(ग) राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में नगरपालिकाओं के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए किसी राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक अध्युपायों के बारे में; ।"

4. **बारहवीं अनुसूची का जोड़ा जाना** -- संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची जोड़ी जाएगी, अर्थात् :-

"बारहवीं अनुसूची"

(अनुच्छेद 243ब)

1. नगरीय योजना जिसके अंतर्गत नगर योजना भी है।
2. भूमि उपयोग का विनियमन और भवनों का निर्माण।
3. आर्थिक और सामाजिक विकास योजना।

4. सड़कें और पुल।
5. घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए जल प्रदाय।
6. लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई और कूड़ा करकट प्रबंध।
7. अग्निशमन सेवाएं।
8. नगरीय वानिकी, पर्यावरण का संरक्षण और परिस्थिति की आयामों की अभिवृद्धि।
9. समाज के दुर्बल वर्गों के, जिनके अंतर्गत विकलांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्ति भी हैं, हितों की रक्षा।
10. गंदी-बस्ती सुधार और प्रोन्नयन।
11. नगरीय निर्धनता उन्मूलन।
12. नगरीय सुख-सुधिाओं और सुविधाओं, जैसे पार्क, उद्यान, खेल के मैदानों की व्यवस्था।
13. सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सौंदर्यपरक आयामों की अभिवृद्धि।
14. शव गाड़ना और कब्रिस्तान, शवदाह और श्मशान और विद्युत शवदाह गृह।
15. कांजी हाउस; पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण।
16. जन्म-मरण सांख्यिकी, जिसके अंतर्गत जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण भी है।
17. सार्वजनिक सुख-सुविधाएं, जिनके अंतर्गत सड़कों पर प्रकाश, पार्किंग स्थल, बस स्टाप और जन सुविधाएं भी हैं।
18. वधशालाओं और चर्मशोधनशालाओं का विनियमन।

संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992 के खण्ड (2) से, अनुच्छेद 243झ एवं 243ट के उद्धरण, जो कि संविधान (74वां संशोधन) अधिनियम, 1992 में संदर्भित किए गए हैं।

243झ. वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन -- (1) राज्य का राज्यपाल, संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रारंभ से एक वर्ष के भीतर यथाशीघ्र, और तत्पश्चात्, प्रत्येक पांचवें वर्ष की समाप्ति पर, वित्त आयोग का गठन करेगा जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगा, ओर जो--

(क) (i) राज्य द्वारा उद्ग्रहित करों, शुल्कों, पक्षकारों और फीसों के ऐसे शुद्ध आगमों के राज्य पंचायतों के बीच, जो इस भाग के अधीन विभाजित किए जाएं, वितरण को और सभी स्तरों पर पंचायतों के बीच ऐसे आगमों के तत्संबंधी भाग के आवंटन को;

(ii) ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के अवधारण को, जो पंचायतों को समनुदिष्ट की जा सकेंगी या उनके द्वारा विनियोजित की जा सकेंगी;

(iii) राज्य की संचित निधि में से पंचायतों के लिए सहायता अनुदान को,

शासित करने वाले सिद्धांतों के बारे में;

(hh) the grant of loans for building purposes or for purchase of conveyance to municipal officers and servants, on such terms and conditions as may be prescribed [1][by byelaws] by the corporation;

(ii) any other measures for the welfare of municipal servants;

(jj) contribution towards any public fund raised for the relief of human sufferings within the city or for the public welfare;

(kk) establishing and maintaining pre-primary schools;

[1][(ll) establishing and maintaining public hospitals and dispensaries and carrying out other means necessary for public medical relief;]

[2][(mm)] any other matter likely to promote the public health, safety or convenience of the public;

[3][(nn) Urban planning including town planning;

(oo) Regulations of land-use and construction of buildings;

(pp) Planning for economic and social development;

(qq) Urban forestry, protection of the environment and promotion of ecological aspects;

(rr) Safeguarding the interests of weaker sections of society, including the handicapped and mentally retarded; and

(ss) Urban poverty alleviation.]

(फ) भवन-निर्माण के आशयों के लिए या नगरपालिक पदाधिकारियों तथा सेवकों के वाहन के क्रय के हेतु ऐसे निर्बन्धनों तथा प्रतिबंधों पर ऋणों का दिया जाना जैसे कि निगम द्वारा [1][उपविधियों द्वारा] नियत किए जाएँ;

(ब) नगरपालिक सेवकों के कल्याण के लिए कोई अन्य उपाय;

(भ) नगर के भीतर पीड़ित मानवों की सहायता के लिए या सार्वजनिक कल्याण के लिए निर्मित किसी भी सार्वजनिक निधि में अंशदान;

(म) पूर्व-प्राथमिक पाठशालाओं की स्थापना तथा उनकी व्यवस्था;

[1][(य) सार्वजनिक चिकित्सालयों तथा औषधालयों का स्थापित किया जाना तथा उनका व्यवस्थित रखा जाना और ऐसे अन्य साधनों का कार्यान्वित किया जाना, जो कि सार्वजनिक चिकित्सीय सहायता के लिए आवश्यक हो;]

[2][(र)] कोई अन्य बात जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा अथवा जनता की सुविधा में उन्नति होने की संभावना हो।

[3][(ल) नगरीय योजना जिसके अन्तर्गत नगर योजना भी है;

(व) भूमि उपयोग का विनियमन और भवनों का निर्माण;

(श) आर्थिक और सामाजिक विकास की योजना;

(ष) नगरीय वानिकी, पर्यावरण का संरक्षण और पारिस्थितिकी के आयामों की अभिवृद्धि;

(स) समाज के कमजोर वर्गों, के जिनके अन्तर्गत विकलांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्ति भी हैं, हितों की रक्षा; और

(ह) नगरीय निर्धनता का उन्मूलन।]

1. Inserted by Section 3 (2) of the M.P. Act 13 of 1961.
2. Renumbered by Section 3 (2) of the M.P. Act 13 of 1961.
3. Ins. by M.P. Act No. 16 of 1994 published in M.P. Gazette (Extraordinary) dated 30-05-1994.

68. Entrustment of certain functions by State Government to Corporation -- (1) The State Government may entrust either conditionally or unconditionally to the Corporation functions in relation to any matter specified in the [1][Schedule] [2][Schedule-I] or in relation to any other matter to which the executive authority of the State extends or in respect of which functions have been entrusted to the State Government by the Central Government and the Corporation shall be bound to perform these functions.

(2) Where functions are entrusted to the Corporation under this section, the Corporation shall, in the discharge of these functions, act as an agent for the State Government.

(3) Where by virtue of this section powers and duties have been conferred or imposed as agency functions upon the Corporation, there shall be paid by the State Government to the Corporation such sum as may be determined by the State Government in respect of any extra costs of administration incurred by the Corporation in connection with the exercise of those powers and duties.

(4) In so far as the Corporation is required to act under this section, it shall be under the general control of, and comply with such particular directions, if any, as may, from time to time, be given to it by the State Government or any other authority appointed by the State Government in this behalf.

(5) The State Government may, by order, place at the disposal of the

68. शासन द्वारा निगम को कतिपय कार्यों का सौंपा जाना -- (1) शासन [1][परिशिष्ट] [2][अनुसूची-एक] में निर्दिष्ट किसी भी विषय से संबंधित कार्य के संबंध में या किसी अन्य ऐसे विषय के संबंध में, जो राज्य के कार्यपालिक प्राधिकारी के अन्तर्गत आता हो, या जिसके संबंध में कार्य केन्द्रीय शासन द्वारा राज्य शासन को सौंपे गए हों कार्य निगम को सप्रतिबंध या बिना प्रतिबंध के सौंप सकेगा, और निगम इन कार्यों का सम्पादन करने के लिए आबद्ध होगा।

(2) जब निगम को इस धारा के अधीन कार्य सौंप दिए जाए तो निगम इन कार्यों का निष्पादन करते समय शासन की ओर से प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगा।

(3) जब इस धारा के आधार पर शक्तियाँ तथा कर्तव्य निगम को एजेन्सी कार्यों के रूप में प्रदान या आरोपित किए जा चुके हों तो राज्य शासन द्वारा निगम को ऐसी धनराशि दी जाएगी जो उन शक्तियों तथा कर्त्तव्यों के प्रयोग में लाने के कारण निगम द्वारा किए गए प्रशासन संबंधी अतिरिक्त व्ययों के संबंध में शासन द्वारा निरुपित की जाए।

(4) जहाँ तक निगम को इस धारा के अधीन कार्य करने के लिए आदेशित किए जाने की सीमा है, वह राज्य शासन के व्यापक नियंत्रण के अधीन होगा और ऐसे विशिष्ट निर्देशों का, यदि कोई हों, पालन करेगा जो राज्य शासन या राज्य शासन द्वारा इस संबंध में नियुक्त किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर उसको दिए जाएँ।

(5) राज्य शासन राज्य के ऐसे सेवकों की या राज्य के ऐसी श्रेणियों के सेवकों की, जिनकी नगर

1. **Applicable only in Madhya Pradesh.**
2. Subs. by Sec. 9 of C.G. Act No. 18 of 2012 (w.e.f. 9-8-2012) for the word "Schedule", published in C.G. Rajpatra (Asadharan) dated 9-8-2012 Pages 425-426(26). **Applicable only in Chhattisgarh.**